न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/133

1. जगदीश आत्मज स्व0 माधो लाल आयु 50 वर्ष ।
2. बाबूलाल आत्मज स्व0 माधो लाल जाति माली ।
3. किशोरी लाल आत्मज स्व0 माधो लाल जी ।
4. अणदी लाल आत्मज स्व0 माधोलाल जी जाति माली निवासी गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. गजानन्द आत्मज स्व0 माधो लाल आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गुडली हाल कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन नियम, 1957 के तहत ग्राम गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 239/3 की 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि जिसके हाल नये खसरा नम्बर 535/761 की 0.17 हैक्टर भूमि दिनांक 24.12.1960 को अपीलान्ट के पिता माधो आत्मज देवीलाल को आवंटित की गई ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.12.2006 के द्वारा आवंटी का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन विक्रय नियम, 1957 की धारा 21 (झ) की पालना नहीं करने से निरस्त करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं रिकॉर्ड पर स्थित तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से गैर कानूनी त्रुटिपूर्ण संचिका में प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक आवंटी माधो के विरूद्ध कार्यवाही कर आवंटन आदेश निरस्त करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी मृतक आवंटी के वारिसान अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है और अपीलान्ट को सुने बिना व नोटिस जारी किये बिना सरसरी तौर पर आवंटन आदेश निरस्त करने का आदेश पारित किया है । अपीलान्ट का वादग्रस्त/आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट को आज दिन तक उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई थी । अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.02.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्टगण ने अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सन् 1960 में अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय माधो को नियमानुसार आवंटित हुई थी जिस पर उनका कब्जा चला आ रहा था । उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता माधो जी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई तथा माधो जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि के चारों ओर पत्थरों की पक्की बाउन्ड्रीवाल की हुई है तथा उसमें अमरूद के पेड, चीकू के पेड, अनार के पेड, नीबू के पौधे लगा रखे हैं तथा कटहल व बीलपत्र के भी पेड लगा रखे हैं । मवेशियों के बांधने हेतु टीन शेड बरामदा बना हुआ है तथा बोरिंग लगा रखा है बिजली का कनेक्शन हो रहा है तथा अपीलान्टगण वहॉ निवास करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये बिना, मृतक आवंटी के वारिसान को नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए आवंटन निरस्त किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है । अपीलान्टगण को रकम जमा कराने का कोई नोटिस नहीं दिया है । आवंटन की समस्त राशि जमा है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2007 (2) पेज 1430, आरआरसी 2000 पेज 597 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है और आवंटन की राशि भी जमा नहीं करवायी है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई थी और अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी है । आवंटी के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया है । इस प्रकार अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब को क्षम्य किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये है। उक्त दस्तावेजात में उनके पिता स्वर्गीय माधोजी के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 395/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि माधो जी के गैर खातेदारी में दर्ज है और उसमें नामान्तकरण संख्या 319 दिनांक 01.06.89 का नोट अंकित है । इसके अलावा कुछ बिजली के बिल पेश किये गये हैं ये बिजली के बिल रघुनाथ माली और बादाम बाई पत्नी जगदीश के नाम से जारी किये गये हैं । कुछ फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये हैं । इन फोटोग्राफ्स से यह प्रमाणित नहीं होता है कि यह इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित हैं और जो बिजली के बिल पेश किये गये हैं वे रघुनाथ माली और बादाम बाई के नाम से पेश किये गये हैं जो अपील में पक्षकार नहीं हैं ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पर्चा खतौनी चम्बल उपनिवेशन विभाग संलग्न है और अतिक्रमी को आवंटित की गई भूमियों का विवरण संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 239/1 की रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि माधोजी को आवंटित किया जाना अंकित है । पत्रावली पर संलग्न आदेशिका दिनांक 09.05.1962 के अनुसार आवंटित आराजी चारागाह है और आवंटी के प्रार्थना पत्र पर पुनः स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई इसके उपरान्त आदेशिका दिनांक 08.12.62 के अनुसार गैर खातेदारी दी गई । आवंटी को बकाया राशि जमा करवाये जाने के नोटिस जारी करना दिनांक 04.04.1981 से 17.09.97 तक की आदेशिका में अंकित किया गया है और दिनांक 17.09.97 की आदेशिका में आवंटी के लडके को तामील किया जाना अंकित किया गया है । पत्रावली पर दखलनामे की प्रति भी संलग्न है और इसके साथ जो अन्य पत्रावली है वो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बाबत् है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं है कि बकाया राशि सम्पूर्ण जमा हुई है अथवा नहीं । चूँकि आदेशिका सन् 1997 तक बकाया राशि के नोटिस में चल रही थी और अपीलाधीन आदेश में बकाया राशि का कोई हवाला नहीं दिया गया है । कब्जा नहीं होने के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है और आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवंटी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर कब से नहीं है । आवंटन सन् 1962 का है ऐसी स्थिति में आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षों में आवंटी का कब्जा रहा है अथवा नहीं यह देखा जाना आवश्यक होगा । उक्त आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि आवंटी का कब्जा तत्समय नहीं था अथवा अब नहीं है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.12.1962 के अनुसार गैर खातेदारी प्रदान की गई है । पत्रावली पर जो पठनीय आदेशिका हैं उनके अनुसार आवंटी को बकाया राशि जमा कराने के नोटिस जारी किये गये थे । दिनांक 17.09.1997 के बाद की कोई आदेशिका पत्रावली पर संलग्न नहीं है सीधे ही दिनांक 27.12.2006 का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर संलग्न किया गया है । इस आदेश को जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया अथवा नहीं इसके सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2006 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा